रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 341] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 30, 1984/भाद्र 8, 1906
No. 341] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 30, 1984/BHADRA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1984

सा. का. नि. 631(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (1), तारीख 10 अगस्त, 1984 के सा. का. नि. सं. 605(अ) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, की अधिसूचना सं. 219/84-सीमा शुल्क, तारीख 10 अगस्त, 1984 में "रद्दी कागज" शब्दों के स्थान

पर, जहां जहां वे आते हैं, "रद्दी कागज या रद्दी कागज बोर्ड" शब्द पढ़ें और "कागज बनाने" शब्दों के स्थान पर, "कागज या कागज बोर्ड बनाने" शब्द पढ़ें ।

[फा. सं. 355/284/84-सीमा शुल्क]

एम. एन. विश्वास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th August, 1984

GSR 631(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance Department of Revenue No. 219/84-Customs dated the 10th August, 1984 published under GSR 605(E) of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 10th August, 1984, (1) for the words "waste paper" wherever they occur, read "waste paper or waste paperboard" and (2) for the word "papermaking", read "paper or paperboard making".

[F. No. 355|284|84-CUS. I.]

M. N. BISWAS, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984